



Ranchi Weather Forecast

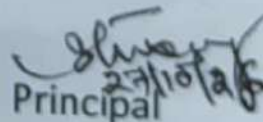
Red alert issued as IMD warns of heavy rains 28.10.2026(Wednesday) – 29.10.2026(Thursday)

As per circulation No. 2883 dated 27.10.2026 jointly issued by Deputy Commissioner, Ranchi & District Education Officer, Ranchi all the classes will remain suspended for two days from 28.10.2026(Wednesday) to 29.10.2026(Thursday) due to heavy rain alerted by the Indian Metrological Department of Jharkhand, Ranchi.

N.B:-

- All the offices, Library, Lab, etc. will remain opened:-
Time: 10.00a.m. – 03.00p.m.
- Those who are coming for the office work can come in the formal dress with a proper College ID.
- Complete the assignments which will be given by the subject teachers through whatsapp.

27.10.2026


Principal

Principal
St. Xavier's Inter College
Ranchi



उपायुक्त-सह- जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, राँची
(जिला शिक्षा कार्यालय)

पत्रांक _____/जि.शि.

भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत मौसम विज्ञान केन्द्र झारखण्ड राँची के पूर्वानुमान के द्वारा झारखण्ड के विभिन्न जिलों में चक्रवात 'अणर्व' (Cyclone Arnab) एवं भारी बारिश की चेतावनी देते हुए सतर्कता बरतने की सलाह दी गयी है।

विदित हो कि राँची जिला को ऑरेंज जोन की श्रेणी में चिन्हित करते हुए तेज हवाओं के साथ मुसलाधार बारिश होने के संभावना व्यक्त किया गया है उक्त तथ्यालोक में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-34 के तहत राँची जिला अंतर्गत संचालित सभी कोटि के सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं सभी निजी विद्यालयों में वर्ग KG से वर्ग 12 तक की कक्षाओं में पठन-पाठन का कार्य दिनांक 28.10.2026 एवं 29.10.2026 को स्थगित रहेंगे। यदि निजी विद्यालयों में पूर्व से परीक्षा निर्धारित हो तो विद्यालय प्रबंधन अपने स्तर से स्वयं निर्णय ले सकते हैं। सभी कोटि के सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका विद्यालय में उपस्थित होकर गैर शैक्षणिक कार्यों का संपादन करेंगे। साथ ही राँची जिला अंतर्गत संचालित सभी कोटि के सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) ई.विद्यावाहिनी में उपस्थिति दर्ज करेंगे।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
राँची

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
राँची

ज्ञापांक 2883/राँची, दिनांक 27.10.2026

प्रतिलिपि: जिले के सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/अवर विद्यालय निरीक्षक/क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी/अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, राँची एवं प्रधानाध्यापक-सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/ सभी कोटि के विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक/ संबंधित शिक्षक/ शिक्षिका/ संबंधित विद्यालय प्रधान एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक/माध्यमिक एवं + 2 उच्च विद्यालय/ सचिव/ प्रधानाध्यापक/ प्रभारी प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची एवं क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-उप विकास आयुक्त/ निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि-सचिव के आप्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
राँची

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
राँची